न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 35 / 2018 / अपील

श्रीमती विधा देवी आंगन बाड़ी कार्यकर्ता वार्ड नं. 17—4, सीकर

अपीलान्ट

बनाम

बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर (शहर) द्वितीय

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर के द्वारा मानदेय सेवा से पृथक करने हेतु पारित आदेश दिनांक 26.12.17

निर्णय दिनांकः—06.07.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया आंगन बाड़ी केन्द्र 17—4 सीकर पर लगातार वर्ष 2004 से सेवा देती आ रही है। प्रार्थीया को प्रथम नोटिस अप्रेल 2017 में दिया गया तथा दूसरा नोटिस दिसम्बर 2017 में दिया गया। उक्त नोटिस का हवाला देकर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2017 को मानदेय सेवा से पृथक करने हेतु आदेश पारित कर दिया। प्रार्थीया आंगन बाड़ी केन्द्र 17—4 सीकर पर वर्ष 2004 से लगातार होने एवं प्रार्थीया का पूर्व का कार्य देखते हुए पुनः मानदेय सेवा पर लगाने हेतु प्रार्थीया द्वारा महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से दिनांक 08.02.2018 को प्राप्त हुआ।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी / रेस्पो. को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने समर्थन में जवाब एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर (शहर) द्वितीय द्वारा प्रार्थीया विधादेवी आंगन बाड़ी कार्यकर्ता वार्ड 17—4 सीकर को मानदेय सेवा से पृथक करने बाबत आदेश दिनांक 26.12.2017 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में अंकित किया गया है कि आंगन बाड़ी केन्द्र महिला पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 12.04.2017, 25.05.2017, 12.06.2017, 28.06.2017, 09.08.2017, 26.09.2017, 14.11.2017, 28.11.2017 को निरीक्षण किये गये, जिसमें आंगन बाड़ी कार्यकर्ता निरीक्षणकर्ता को लगातार अनुपस्थिति मिली एवं महिला पर्यवेक्षक के द्वारा अनुपस्थिति के सम्बंध में दिये गये नोटिसों का जवाब भी नहीं दिया गया। दिनांक 26.12.2017 को बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित मिली। केन्द्र पर लगातार अनुपस्थित मिलने के कारण मानदेय सेवा से पृथक किया गया। अप्रार्थी / रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.06.2018 में अंकित किया गया है कि परियोजना के सेक्टर सीकर के प्रभारी महिला पर्यवेक्षक तत्कालीन श्रीमती उम्मेद कंवर के द्वारा दिनांक 19.06.2015, 17.09.2015 को केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यकर्ता अवकाश पर बतायी गई। कार्यालय के पत्र क्रमांक 72 दिनांक 16.05.2016 के द्वारा कार्यकर्ता श्रीमती विधादेवी को आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के मकान में संचालित न कर किराये के भवन में स्थानान्तरित कर कार्यालय को सूचित

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

करने हेतु प्रस्तुत पत्र के सम्बंध में कार्यकर्ता द्वारा केन्द्र स्थानान्तरित नहीं किया गया एव ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपरोक्त वर्णित दिनांक अनुसार अनुपस्थित रहने के सम्बंध में विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 17–4 बाल विकास परियोजना सीकर शहर द्वितीय में आंगन बाड़ी कार्यकर्ता के पद पर वर्ष 2004 से लगातार मानदेय कर्मी के रूप में कार्यरत है। आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है एवं विभागीय नियमों के आदेशो की पालना की जाती रही है। निरीक्षण कर्ता विनिता खाण्डल ने आंगनबाड़ी केन्द्र का दिनांक 19.06.2015 को निरीक्षण किया गया उस समय केन्द्र खुला था, कार्यकर्ता सहयोगिनी मन्जू देवी भी उपस्थित थी एवं निरीक्षण कर्ता द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्ग दर्शन दिया गया एवं कमी बाबत स्पष्टीकरण चाहा गया जिसके बाबत कार्यकर्ता विधादेवी द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को दे दिया गया एवं दिनांक 17.09.2015 को निरीक्षण के दिन कार्यकर्ता अवकाश पर थे। आंगनबाड़ी केन्द्र विभाग द्वारा दिये जाने वाले किराये में अन्य कोई भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, विभाग के उच्च अधिकरियों की मौखिक सहमति से आंगन बाड़ी केन्द्र पूर्व स्थान पर ही संचालित किया जा रहा है। जिसका किराया सितम्बर 2015 से बन्द है। निरीक्षण कर्ता द्वारा निरीक्षण पुस्तिका में अंकित तथ्य अपनी मनमर्जी से कार्यकर्ता के विरूद्व अंकित किये है।

उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण दौरान अनुपस्थित पाये जाने के सम्बंध में कार्यकर्ता के विरूद्व जारी नोटिस की प्रतियां पत्रावली पर उपलब्ध है एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा इन नोटिसों के सम्बंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लगातार अनुपस्थित रहने, विभाग द्वारा जारी नोटिसों का जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं स्वयं के मकान में स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र को स्थानान्तरित करने हेतु बार–बार सूचित करने के उपरांत आंगनबाड़ी केन्द्र स्थानान्तरित नहीं करने के कृत्य को देखते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2017 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official